वात्स्यायन का कामसूत्र हिन्दी में

भाग 4 भार्याधिकारिक

अध्याय 1 एकचारिणीवृत्तं प्रवासचर्या च प्रकरण

श्लोक-1. भार्यैकचारिणी गूढ़विश्रम्भा देववत्पतिमानुकूल्यन वर्तेत।।1।।

अर्थ- दो प्रकार की भार्या (पत्नी) होती हैं। 1. पहली एकचारिणी अर्थात अकेली। 2. दूसरी सपत्निका (सौतों वाली)। इन दोनों में पहले एकचारिणी अर्थात अकेली वाली पत्नी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

जो पत्नी अपने पति को देवता के समान मानती है, पति की विश्वासपात्र होती है वही पतिव्रता होती है।

श्लोक-2. तन्मतेन कुटुम्बचिन्तामात्मानि संनिवेशयेत।।2।।

अर्थ- इसके अंतर्गत एकचारिणी अर्थात अकेली वाली पत्नी के आचरण का वर्णन किया जाता है। ऐसी पत्नी को अपने पति की आज्ञानुसार घर की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए।

श्लोक-3. वेश्म च शुचि सुसंमृष्टस्थानं विरचितविविधकुसुमं श्लक्ष्णभूमितलं हृद्यदर्शनं त्रिषवणाचरित बलिकर्म पूजिदेवतायतनं कुर्यात।।3।।

अर्थ- जिन घरेलू कार्यों में स्त्री लगी रहती है। उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है- स्त्री को अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए। घर में फूल सजाकर रखे। आंगन को साफ-सुथरा तथा सुंदर बनाये। घर में सुबह- दोपहर तथा शाम को पूजा-अर्चना करे तथा घर के अंदर पूजा-अर्चना की व्यवस्था सही रखे।

श्लोक-4. न ह्यतोऽन्यद्गृहस्थानां चित्त ग्राहकमस्तीत गोनर्दीयः।।4।।

अर्थ- आचार्य गोनर्दीय का कथन है कि जिस गृहस्थी को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है।

श्लोक-5. गुरुष भृत्यवर्गेषु नायकभगनीषु तत्पतिषु व य़थार्हं प्रतिपत्तिः।।5।।

अर्थ- इस श्लोक में दो प्रकार के आचरणों का वर्णन किया गया है।
स्त्री को सास-ससुर, नंद-नंदोई तथा नौकरों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।

श्लोक-6. परिपूतेषु च हरितशाकवप्रानिक्षुस्तम्बाञ्जीरकसर्षपाजमोदशतपुष्पातमालगुल्मश्चिकारयेत्।।6।।

अर्थ- प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सब्जियों की क्यारियां साफ-सुथरी पर बनाना चाहिए। इन क्यारियों में गन्ना, जीरा, सरसों, अजमोद, सौंफ तथा तमाल के पौधों को भी लगाना चाहिए।

श्लोक-7. कुब्जकामलकमल्लिकाजातीकुरण्टकनवमालिकातरगरन्नद्यावर्तजपागुल्मानन्यांश्च बहुपुष्पान्बालकोशीरकपातलिकांश्च वृक्षवाटिकायां च स्थण्डिलानि मनोज्ञानि कारयेत्।।7।।

अर्थ- स्त्रियों को घर के पास की क्यारियों में गुलाब बास, मोतिया, चमेली, नेवारी, वासंती, तगर, कदम्ब, जवाकुसुम के पौधे लगाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य फूलों के पौधे तथा नेत्रबाला, खश, पातालिका के पेड़ घर के पास की क्यारियों में लगायें तथा क्यारियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पगडण्डियां भी बनाएं।

श्लोक-8. मध्ये कूपं वापीं दीर्घिकां वा खानयेत्।।8।।

अर्थ- गृह वाटिका के बीच में कुआं, बावड़ी या चौकोर बैठने के स्थान का निर्माण करायें।

श्लोक-9. भिक्षुकीश्रमणाक्षपणाकुलटाकुहकेतक्षणिकामूलकारिकाभिर्न संसृज्येत।।9।।

अर्थ- भिखारिनी, बौद्ध तथा जैन संयासिनियों, नाच-गान, तमाशा दिखाने वाली, बुरे आचरण करने वाली, सगुन घराने वाली तथा तंत्र-मंत्र और जादू-टोना करने वाली स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करना चाहिए।

श्लोक-10. भोजने च रुचितमिदमस्मै द्वेष्यमिदं पथ्यमिदमपथ्यमिदमिति च विन्द्यात्।।10।।

अर्थ- स्त्रियों को अपने पति की रुचि तथा पसंद-नापसंद के अनुसार ही भोजन पकाना चाहिए।

श्लोक-11. स्वरं बहिरुपश्रुत्य भवनमागच्छतः किं कृत्यमिति ब्रुवती सज्जा भवनमध्ये तिष्थेत।।11।। अर्थ- यदि बाहर से घर आते ही पति किसी काम के लिए आवाज दे तो पत्नी को शीघ्र ही पति के पास जाकर पूछना चाहिए कि वे किस काम के लिए आवाज दे रहे थे।

श्लोक-12. परिचारिकामपनुद्य स्वयं पादौ प्रक्षालयेत्।।12।।

अर्थ- पति के पैरों को नौकरानी आदि से न धुलवाकर पत्नी को स्वयं ही धोना चाहिए।

श्लोक-13. नायकस्य च न विमुक्तभूषणं विजने संदर्शने तिष्ठेत्।।13।।

अर्थ- पत्नी को अकेले में अपने पति के पास सज-संवर कर ही जाना चाहिए।

श्लोक-14. अतिव्ययमद्ययं वा कुर्वाणुं रहसि बोधयेत्।।4।।

अर्थ- यदि पति आवश्यकता से अधिक खर्च करता है तो उसे पत्नी को अकेले में और प्यार से समझाना चाहिए।

श्लोक-15. आवाहे विवाहे यज्ञे गमनं सखीभिः सह गोष्ठीं देवताभिगमनमित्यनुज्ञाता कुर्मात।।15।।

अर्थ- जिसकी शादी हो रही हो ऐसे दूल्हा के या लड़की के घर सखी-सहेलियों के साथ खान-पान, गोष्ठी जाना हो या मंदिर जाना हो तो इसके लिए पत्नी को अपने पति से पूछकर ही जाना चाहिए।

श्लोक-16. सर्वक्रीड़ासु च तदानुलोम्येन प्रवृत्तिः।।16।।

अर्थ- पति की आज्ञा लेकर ही पत्नी को किसी खेल में भाग लेना चाहिए।

श्लोक-17. पश्चात्संवेशनं पूर्वमुत्थानमनवबोधनं च सुप्तस्य।।17।।

अर्थ- पति के सो जाने के बाद ही पत्नी को सोना चाहिए तथा जागने से पहले जागना चाहिए।

श्लोक-18. महानसं च सुगुप्तं स्याहद्दर्शनीयं च।।18।।

अर्थ- घर का किचन साफ-सुथरा और सुसज्जित होना चाहिए तथा ऐसी जगह पर हो, जहां पर घर से बाहर आदमी प्रवेश न कर सके।

श्लोक-19. नायकापचारेषु किंचित्कलुषिता नात्यर्थं निर्वदेत्।।19।।

अर्थ- यदि पति सेक्स के समय कोई भी विपरीत कार्य करता है तो पत्नी को धैर्य रखते हुए उसे प्यार से समझाए तथा मधुर वार्तालाप के द्वारा दुबारा ऐसा न करने की सलाह दें।

श्लोक-20. साधिक्षपवचनं त्वेनं मित्रजनमध्यस्थमेकाकिनं वाप्युपालभेतय। न च मूलकारिका स्यात।।20।।

अर्थ- किसी कारणवश यदि पति को किसी बात की उलाहना देनी हो तो पत्नी उलाहना उसे अकेले में या उसके दोस्तों के बीच दें। लेकिन अपने पति को तंत्र-मंत्र के द्वारा अपने वश में करने की कोशिश न करें।

श्लोक-21. नहयतोऽन्यदप्रत्ययकारणमस्तीति गोनर्दीयः।।21।।

अर्थ- आचार्य गोनर्दीय के अनुसार- तंत्र-मंत्र के द्वारा ही पति-पत्नी के बीच में परस्पर अविश्वास उत्पन्न होता है।

श्लोक-22. दुर्व्याहृतं दुर्निरीक्षितमन्यतो मंत्रण द्वारदेशावस्थानं निरीक्षणं वा निष्कुटेषु मंत्रण विविक्तेषु चिरमवस्थानामिति वर्जयेत।।22।।

अर्थ- बुरी बातों को बोलना, आंखे तिरक्षी करके बोलना, मुंह घुमाकर बाते करना, दरवाजे को पकड़कर खड़ी रहना तथा घर की एकांत वाटिका में किसी दूसरे से चुपचाप बातें करना- ये सभी आदतें बुरी होती हैं। इसलिए पतिव्रता स्त्रियों को ऐसी आदतों से दूर रहना चाहिए।

श्लोक-23. स्वेददन्तपंकदुर्गंधांश्च बुध्येतेति विरागकारणम्।।23।।

अर्थ- यदि शरीर से बदबूदार पसीना आता हो, दांतों में मैल के साथ दुर्गंध आती हो तो इसे शीघ्र ही शरीर से दूर कर देना चाहिए। क्योंकि इन सभी से पति को अरुचि होती है।

श्लोक-24. बहुभूषणं विविधकुसुमानुलेपनं विविधाड़्गरागसमुज्जवलं वास इत्याभिगामिको वेषः।।24।।

अर्थ- पत्नी को जब पति के पास जाने की इच्छा हो तो उसे विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के सुगंधित लेप तथा अंगराग धारण करके और स्वच्छ और साफ कपड़े पहनकर अपने पति के पास जाना चाहिए।

श्लोक-25. प्रतनुश्लक्ष्णाल्पदुकूलता परमितिमाभरणं सुगंन्धिता नात्युल्वण़मनुलेपनम्। तथा शुक्लान्यन्यानि पुष्पाणीति वैहारिको वेषः।।25।।

अर्थ- यदि स्त्री को किसी कार्यक्रम या कहीं घूमने जाना हो तो वह हल्का, पतला तथा चिकना वस्त्र ही पहने। सिर्फ कान तथा गले में ही आभूषण पहने। बालों में सफेद फूल गुंथे हो तथा शरीर पर चंदन का हल्का लेप लगा हो।

श्लोक-26. नायकस्य व्रतमुपवासं च स्वयमपि करणेनानुवर्तेत। वारितायां च नाहमात्र निर्बंधनीयेति तद्वचसो निवर्तनम्।।26।।

अर्थ- पति भक्त प्रकट करने के लिए पति की तरह व्रत और नियम पत्नी को भी करना चाहिए। यदि पति व्रत या उपवास करने से मना करे तो पत्नी को अपनी पति भक्ति प्रकट करते हुए कहना चाहिए कि मैं कैसे मान सकती हूं। मैं तो आपकी अनुगामिनी हूं।

श्लोक-27. मृद्विदलकाष्ठचर्मलोहभाण्डानां च काले समर्घग्रहणम्।।27।।

अर्थ- मिट्टी के बर्तन, बांस की दोहरी पिटारी, पीढ़ा, पलंग, तख्त आदि लकड़ी की वस्तु तथा लोहे का तवा, करछुल चिमटा, कड़ाही आदि उपयोगी बर्तन जब भी सस्ते मिले तो उन्हें खरीद लें।

श्लोक-28. तथा लवणस्नेहयोश्च गंधद्रव्यकटुकभाण्डानां च दुर्लभानां भवनेषु प्रच्छन्नं निधानम्।।28।।

अर्थ- सेंधानमक, सांभर नमक, घी, तेल आदि रस पदार्थ, तगर, अछरीला, दारूहल्दी आदि सुगंधित वस्तुएं, लौकी की तुम्बी आदि कड़वी चीजें, द्विमूल, पंचमूल, दशमूल आदि दवाइयां और जो चीजें मुश्किल से प्राप्त होती हैं, उन्हें सूचित करके बर्तनों में छिपाकर रखें।

श्लोक-29. मूलकालुकपालड़्की-दमनकाम्रात कैर्वारुकत्रपुसवार्ताककृष्माण्डाला बुसूरण-शुकनासास्वयंगुप्तातिलपर्णिकाग्निमन्थलशुनपलाण्डुप्रभृतीनां सर्वौषधीनां च बीजग्रहणं काले वापश्च।।29।।

अर्थ- मूली, आलू, पालक, दौना, आमड़ा, ककड़ी, मरसा, बैंगन, कोहड़ा (कद्दू) लौकी, सूरन, सोनापाठा, केवांच, खभारी, अरणी, लहसुन, प्याज तथा दवाइयों के बीज संभालकर रखें तथा उचित समय पर उन्हें बोयें।

श्लोक-30. स्वस्य च सारस्य परेभ्यो नाख्यानं भर्तृमन्त्रितस्य च।।30।।

अर्थ- अपने धन को तथा पति द्वारा बतायी गयी गुप्त बातों का उल्लेख किसी भी दूसरे व्यक्ति से न करें।

श्लोक-31. सामानाश्च स्त्रियः कौशलेनोज्जवलतया पाकेन मानेन तथापचारैरतिशयीत।।31।।

अर्थ- पत्नी को चाहिए कि वह अपनी समान उम्र तथा हैसियत की स्त्रियों से अपनी कुशलता, पवित्रता, विविध व्यंजन बनाने की कुशलता, स्वाभिमान तथा दूसरे व्यवहारों से आगे बढ़ जाना चाहिए।

श्लोक-32. सांवत्सरिकमायं संख्याय तदनुरूपं व्ययं कुर्यात्।।32।।

अर्थ- स्त्रियों को पूरे साल भर की अपनी आमदनी का बजट बनाकर उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए।

श्लोक-33. भोजनावशिष्टाग्दोरसादघृतकरणम् तथा तेलगुडयोः। कर्पासस्य च सूत्रकर्तनम् सूत्रस्य वानम्। शिक्यरञ्जुपाशवल्कलसंग्रहणम्। कुट्टनकण्डनावेक्षणम्। आमचामणडतुषकखकुटय्डंगाराणामुपयोजनम्। भृत्यवेतनभरणज्ञानम्। कृषि पशु पालनचिंतावाहनविधानयोगाः। मेषकुक्कुटलावकशकशारिकापरभृतमयूरवानरमृगाणामवेक्षणम्। दैवसिकायव्ययपिण्डीकरणमिति च विद्यात्।।33।।

अर्थ- स्त्रियों को भोजन से बचे हुए दूध से घी, गन्ने से गुड़ और सरसों से तेल निकलवाना चाहिए। चरखे के द्वारा कपास के सूत कातना, तथा उस सूत के कपड़े बनावाना, भिकहर, रस्सी, फंदा तथा मूंज, पटसन आदि उपयोगी चीजें बनाकर रखना, नौकरानियों को अनाज कूटते, पीसते, छानते तथा फटकते हुए देखते रहना, पके चावल का मांड, धान की भूसी, चावल की किनकी, कोयला तथा जला हुआ कोयला न फेंककर उसका दोबारा उपयोग करना, नौकर की नौकरी तथा उसके भोजन की जानकारी रखना, खेती तथा पशुओं के पालन की चिंता करना, घर के पालतू मेंढा, मुर्गा, लवा, तोता, मैना, कोयल, मोर, वानर तथा हिरनों की देखभाल करना। पूरे दिन की आमदनी के खर्च का हिसाब-किताब रखना- ये सभी बातें साध्वी पत्नी को हमेशा ध्यान में ऱखनी चाहिए।

श्लोक-34. तञ्जुघन्यानां च जीर्णवाससां संचयस्तैर्विविधरागैः शुद्धैर्वाकृतकर्मणां परिचारकाणामनुग्रहो मानार्थेषु च दानमन्यत्र वोपयोगः।।34।।

अर्थ- अपने पति के गंदे कपड़ों को स्त्रियां धुलवाकर रखें। यदि कपड़ों में कोई चीज हो तो उन्हें खंगाले, फिर अच्छा कार्य करने वाले नौकरों को देकर उन पर अपना अनुग्रह प्रकट करें। जो कपड़े देने योग्य न हो उनका प्रयोग दूसरे कार्यों में करना चाहिए।

श्लोक-35. सुराकुम्भीनामासवकुम्भीनां च स्थापनं तदुपयोगः क्रयविक्रयावायव्ययवेक्षणम्।।35।।

अर्थ- सुरा (शराब) तथा आसव की सुराहियों को रखना तथा उनका उपयोग करना या उन्हें किसी दूसरे को बेच देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर खरीदना और खरीदने तथा बेचने में हुई हानि और लाभ को देखते रहना चाहिए।

श्लोक-36. नायकामित्राणां त स्त्रगनुलेपनताम्बूलदानैः पूजनं न्यायतः ।।36।।

अर्थ- अपने पति के दोस्तों का फूलों के हार, चंदन तथा पान आदि से उचित आदर सत्कार करें।

श्लोक-37. श्वश्रूश्वशुरपरिचर्या तत्पारतन्त्र्यमनुत्तरवादिता परिमिताप्रचण्डालापकरणनुच्चैर्हासः तत्प्रियाप्रियेषु स्वप्रिया प्रियेष्किकववृत्तिः।।37।।

अर्थ- स्त्री को अपने सास-ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी किसी भी बात का पलटकर जवाब न देना। सास-ससुर के सामने धीरे से बोलना चाहिए। जो उन्हें प्रिय हो उनके साथ प्रेम व्यवहार रखें तथा जो उन्हें प्रिय न हो उनके साथ प्रेम व्यवहार न रखें।

श्लोक-38. भोगष्वनुत्सेकः।।38।।

अर्थ- भोग सुखों के संबंध में किसी भी प्रकार का गर्व न करें।

श्लोक-39. परिजने दाक्षिण्यम्।।39।।

अर्थ- परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाये रखें।

श्लोक-40. नायकस्यानिवेद्य।।40।।

अर्थ- पति की आज्ञा के बिना घर की कोई भी वस्तु किसी को भी न दें।

श्लोक-41. स्वकर्मसु भृत्यजननियमनमुत्सवेष चास्य पूजनमित्येकचारिणीवृत्तम्।।41।।

अर्थ- नौकरों को उनके काम पर रखें, तिथि-त्यौहारों तथा जश्नों में उन्हें भी आदर से घर पर आमंत्रित करें। एकचारिणी वृत्त समाप्त हुआ।

श्लोक-42. प्रवासे मङ्गलमात्राभरणा देवतोपवासपरा वार्तायां स्थिता गृहानवेक्षेत।।42।।

अर्थ- जिसका पति परदेश में रहता हो, उस पत्नी को सौभाग्य चिंह को छोड़कर बाकी सभी अलंकारों को उतारकर रख देना चाहिए। देवताओं की पूजा-उपासना तथा उनका व्रत करें। इसके साथ ही पति ने जो सीख दी है उसके अनुसार ही उसे रहना चाहिए।

श्लोक-43. शय्या च गुरुजनमूले। तदभिमता कार्यानिष्पत्तिः नायकाभिमतानां चार्थानामर्जने प्रतिसंस्कारें च यत्नः।।43।।

अर्थ- पति के परदेश में रहने पर पत्नी को चाहिए कि वह अपने सास-ससुर के निकट चारपाई बिछाकर सोये। उनके सुझाव तथा सलाह से कार्य करें। पति को अच्छी लगने वाली चीजें इकट्ठी करे और उनकी रखवाली रखें।

श्लोक-44. नित्यनैमित्तिकेषु कर्मसुचितो व्ययः। तदारब्धानां च कर्मणां समापने पतिः।।44।।

अर्थ- रोजाना के दैनिक कार्यों में सही या पति के बताये अनुसार ही खर्च करना चाहिए। परदेश

जाने से पहले पति ने जिन कार्यों को शुरू किया था। उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्लोक-45. ज्ञातिकुलस्यानभिगमनमन्यत्र व्यसनोत्सवाभ्याम्। तत्रापि नायकपरिजनाधिष्ठिताया नातिकालमवस्थानपरिवर्तितप्रवासवेषता च।।45।।

अर्थ- पत्नी को अपने पिता के घर तभी जाना चाहिए जब वहां पर कोई जश्न या त्यौहार हो। वहां जाने पर ससुराल का कोई व्यक्ति उसके साथ होना चाहिए। उसे अधिक दिनों तक पिता के घर नहीं रुकना चाहिए। उत्सव तथा विवाह आदि में भी प्रोषित पूतिका के समान ही रहे, तथा साज-श्रृंगार बिल्कुल भी न करें।

श्लोक-46.गुरुजनानुज्ञातानां करणमुपवासानाम्। परिचारकैः शुचिभिराज्ञाधितैरनुमतेन क्रयविक्रयकर्मणा सारस्यपूरणं तनुकरणं च शक्तया व्यायानाम् ।।46।।

अर्थ- पत्नि को उपवास तथा व्रत आदि करना हो तो अपने सास-ससुर से पूछकर की करें। ईमानदार नौकरों के मार्फत क्रय-विक्रय करके घटी को पूरा करे। जहां तक हो सके, खर्च में कमी कर दें।

श्लोक-47. आगते च प्रकृतिस्थाया एवं प्रथमतो दर्शनं देवतपूजनमुपहाराणां चाहरणमिति प्रवासचर्या।।47।।

अर्थ- विदेश से लौटकर आया हुआ पति अपनी पत्नी को प्रोषितपतिका के रूप में देखें। उनके घर पहुंचने पर पत्नी को देवताओं की पूजा करनी चाहिए। प्रवासाचर्या समाप्त होती है।

श्लोक-48. भवतश्पात श्लोकौ तद्तवृत्तमनवर्तेत नायकस्य हितैषिणी। कुलयोषा पुनर्भूर्वा वेश्या वाष्येकचारिणी।। धर्ममर्थ तथा कामं लभंते स्थानमेव च। निःसपत्न च भर्तारं नार्यः सद्वृत्तमाश्रिताः ।।48।।

अर्थ- इस विषय के अंतर्गत दो श्लोक हैं-

एकचारिणी पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की कुशलता की कामना करते हुए सदाचार का पालन करें। चाहे वह कुलवधू हो या वेश्या हो। स्त्रियां अपने स्त्री-धर्म पर रहकर, अर्थ, धर्म, काम, स्थान तथा बिना सौतन का पति प्राप्त करे।

आचार्य वात्स्यायन द्वारा अनुमोदित वैधानिक विवाह पद्धति द्वारा जिस स्त्री की शादी हो गयी हो, उसे अपने पति के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। इसी बात को इस अध्याय में बताया गया है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार- दो प्रकार की पत्नी होती है। एक तो एकचारिणी अर्थात अकेली तथा दूसरी वह जिसके एक या अनेक सौते हों। इस अध्याय के अंतर्गत एकचारिणी अर्थात अकेली पत्नी के आचरणों तथा व्यवहारों के बारे में वर्णन किया गया है। पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य का यह है कि वह अपने पति का पूरा विश्वास प्राप्त कर ले।

पति को संतुष्ट करने के लिए पत्नी को उसके इशारों को समझना चाहिए तथा वह इशारों के अनुसार ही उसके कार्यों को पूरा करना चाहिए।

धर्म के अनुसार जब कन्या और पुरूष का विवाह होता है। उस समय सप्तपदी नामक एक कृत्य संपादित होता है। इसमें वर और वधू एक-दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा में कामसूत्रकार पत्नी को सलाह देते हैं कि पत्नी को कहीं भी जाना हो तो उसे पति से पूछकर

ही जाना चाहिए। ऐसा न करने पर पति को संदेह हो सकता है। इसलिए पत्नी कहीं भी जाए तो पति की इच्छानुसार ही जाए। इससे दाम्पत्य जीवन आनन्दमय हो जाता है। जहां तक हो सके पत्नी को पति के साथ ही जाना चाहिए।

आचार्य वात्स्यायन के अनुसार घर की लक्ष्मी मानी जाने पत्नी के किसी भी कार्य में फूहड़पन नहीं होना चाहिए। वह हमेशा मधुर वाणी में बोले। दरवाजे पर खड़ी होकर अथवा किसी से अकेले में बातें न करें। प्रत्येक बात का शिष्टतापूर्वक जवाब दे। किसी भी आदमी को छिपकर न देखें। जो स्त्रियां इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, वे अपने पति की नजरों में गिर जाती हैं।

पत्नी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसका शरीर साफ-सुथरा रहे। उसके पसीने में तथा मुंह में किसी भी प्रकार की गंध न हो। यदि उसका ध्यान शारीरिक गंदगी की ओर नहीं जाता है तो उसका मन धीरे-धीरे करके मलीन होता जाएगा। पति भी उससे दूर रहने की कोशिश करने लगता है। धीरे-धीरे करके उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगता है। इसलिए शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की सुंदरता पर ध्यान देना स्त्री का प्रमुख कर्तव्य होता है।

पत्नी को घर के बजट में भी संतुलन बनाकर रखना चाहिए। घर की मासिक आमदनी को जरूरी चीजों पर खर्च करके बचत भी करनी चाहिए। घी और तेल बाजार से खरीदने की कोशिश न करें। प्रतिदिन प्रयोग होने वाले दूध में से थोड़ा-थोड़ा दूध बचाकर उसे जमाकर घी तैयार कर लें। घर के छोटे-मोटे कपड़ों की सिलाई पत्नी स्वयं करे। मूंज तथा सन आदि को एकत्र करके उसकी रस्सियां तैयार कर लें। घर में काम करने वाले नौकरों के काम पर ध्यान रखें तथा उनकी सैलरी और खुराक का भी हिसाब रखें। खेतों के बारे में भी पूरी जानकारी रखे।

आचार्य वात्स्यायन के अनुसार जो पत्नी अपने पति की भलाई चाहती है। वही पत्नी उपरोक्त बातों का अनुसरण करती है। इस प्रकार की औरत धर्म, अर्थ तथा काम को अपने जीवन में साबित करके प्रसिद्धि को प्राप्त करती है।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे भार्याधिकारके चतुर्थेऽधिकरणे एकचारिणीवृत्तं प्रवासाचर्या च प्रथमोऽध्यायः।।

वात्स्यायन का कामसूत्र हिन्दी में

भाग 4 भार्याधिकारिक

अध्याय 2 सपत्नी ज्येष्ठादि वृत्तम् प्रकरण

श्लोक-1. जाडय्दौः शील्यदौर्भाग्येभ्यः प्रजानुत्पत्तेराभीक्ष्ण्येन दारिकोत्पत्तेर्नायकचापलाद्वा सपत्न्यधिवेदनम्।।1।।

अर्थ- बेवकूफी, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य तथा निःसंतान होने या बार-बार लड़कियों के पैदा होने से या पति की चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण से एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया जाता है।

श्लोक-2. दादित एवं भक्तिशीलवैदग्धयख्यापनेन परिजिहीर्षेत्। प्रजानुत्पत्तौ च स्वयमेव सापत्नके चोदयेत।।2।।

अर्थ- इस प्रकार नारी के लिए यह उचित है कि वह पहले से ही अपनी भक्ति, सच्चे चरित्र तथा चतुरता से पति को दूसरी शादी करने का मौका न दे। कभी उससे कोई संतान उत्पन्न न हो तब वह स्वयं अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित करे।

श्लोक-3. अधिविद्यमाना च यावच्छक्तियोगादात्मनोऽधिकत्वेन स्थितिं कारयेत्।।3।।

अर्थ- नई दुल्हन शीघ्र ही ससुराल में अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती है। इससे उसकी घर की अन्य स्त्रियों से लड़ाई होने लगती है और दोनों में सौतिया जलन उत्पन्न होता है।

श्लोक-4. आगतां चैनां भगिनीवदीक्षेत। नायकविदितं च प्रादोषिकं विधिमतीव यत्नादस्याः कारयेत्। सौभाग्यजं वैकृतमुत्सेकं वास्या नाद्रियेत।।4।।

अर्थ- इस प्रकार के सौतिया जलन को दूर करने के लिए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि- पहली विवाहिता पत्नी को चाहिए कि वह दूसरी पत्नी को अपनी सौतन न मानकर छोटी बहन के समान माने। रात में उसे सेक्स करने योग्य श्रंगार करे। इससे दोनों में परस्पर प्रेम भी बढेगा। यदि कभी नई बहू कोई कड़वी बात भी कह दे तो बड़ी बहू उसकी बातों को गंभीरता से न ले, बल्कि उसे प्यार से समझाएं।

श्लोक-5. भर्तारि प्रमाद्यन्तीमुपेक्षेत। यत्र मन्येतार्थिमयं स्वयमपि प्रतिपत्स्यत इति तत्रैनामादरत इति तत्रैनामादरत एवानुशिष्यात्।।5।।

अर्थ- यदि नई बहू पति के प्रति किसी भी प्रकार की असावधानी करे तो बड़ी बहू उसकी उपेक्षा कर दे और जब कभी भी उसका मन प्रसन्न हो तो भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दें।

श्लोक-6. नायकसंश्रवे च रहसि विशेषानधिकान् दर्शयेत्।।6।।

अर्थ- बड़ी बहू को नई बहू को किसी एकांत स्थान में ले जा करके काम कला (सेक्स ज्ञान) के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिस स्थान से उसका पति भी सुन सके।

श्लोक-7. तदपत्येष्वविशेषः। परिजनवर्गेऽधिकानुकम्पा। मित्रवर्गे प्रीतिः।।7।।

अर्थ- बड़ी बहू नई बहू के बच्चों से अधिक प्यार करे, उसके नौकरों पर अधिक से अधिक अनुग्रह रखें, उसकी सहेलियों से प्रेम व्यवहार रखें। उसके भाई-भतीजों से स्नेह रखें। अपने भाई-भतीजों की अपेक्षा उसके भाई-भतीजों का अधिक सम्मान करें।

श्लोक-8. बह्वीभिस्त्वधिविन्ना अव्यवहितया संसृज्येत।।8।।

अर्थ- यदि कई सौते हों तो जो ज्येष्ठ हो उसे अपनी से छोटी सौत से अधिक प्रेम करना चाहिए।

श्लोक-9. यां तु नायकोऽधिकां चिकीर्षेतां भूतपूर्वसुभगया प्रोत्साह्य कलहयेत।।9।।

अर्थ- कई पत्नियों में से जिस किसी एक को पति अधिक प्यार करता हो उसके साथ दूसरी पत्नी का झगड़ा करा देना चाहिए।

श्लोक-10. ततश्चानुकम्पेत।।10।।

अर्थ- और फिर कलह बढ़ाने के लिए उसे आश्वासन दें।

श्लोक-11. ताभिरेकत्वेनाधिकां चिकीर्षितां स्वयमविवदमाना दुर्जनीकुर्यात्।।11।।

अर्थ- पति यदि किसी औरत को अधिक महत्व देता है तथा ज्येष्ठ पद देना चाहता है तो ज्येष्ठ पत्नी को चाहिए कि वह स्वयं न लड़कर दूसरी सौतों को उससे भिड़ाकर उसे निकृष्ट (बिल्कुल बेकार) सिद्ध कर दे।

श्लोक-12. नायकेन तु कलहितामेनां पक्षपातावलम्बनोपबृंहितामाश्वसयेत्।।12।।

अर्थ- पति के साथ जिसका बिगाड़ हो जाए उसका कलह और बढ़ा दिये जाए। इसके बाद फिर सुलह करायी जाए।

श्लोक-13. कलहं च वर्धयेत्।।13।।

अर्थ- वह जेठी नारी को अपनी सौतों में लड़ाई को बढ़ाती रहे।

श्लोक-14. मन्दं वा कलहमुपलब्ध स्वमयेव संधुक्षयेत्।।14।।

अर्थ- जब लड़ाई शांत होने लगे तो फिर लड़ाई को बढ़ा दें।

श्लोक-15. यदि नायकोऽस्यामद्यापि सानुनय इति मन्येत तदा स्वयमेव संध्यौ प्रयतेतेति ज्येष्ठावृत्तम्।।15।।

अर्थ- इतने पर भी वह समझ जाए कि नायक उस पर प्रेम करता है। तब वह जेठी सौत स्वयं सुलह कराने की कोशिश करें। ज्येष्ठ सपत्नी (सौत) का बर्ताव समाप्त हुआ।

श्लोक-16. कनिष्ठा तु मातृवत्सपत्नीं पशयेत्।।16।।

अर्थ- इसके अंतर्गत छोटी सौत के बर्ताव के बारे में बताया जा रहा है-

छोटी बहू को अपने से बड़ी बहुओं को माता के समान मानना चाहिए।

श्लोक-17. ज्ञातिदायमपितस्या अविदितं नोपयुञ्जीत।।17।।

अर्थ- अपने माता-पिता तथा भाई-बंधुओं द्वारा दी गयी वस्तुओं को भी बड़ी बहू की आज्ञा के बिना उपयोग में न लाएं।

श्लोक-18. आत्मवृत्तान्तांस्तदधिष्ठितान् कुर्यात्।।18।।

अर्थ- अपने सभी कार्य-व्यवहार घर की बड़ी बहू के अधीन कर दें।

श्लोक-19. अनुज्ञाता पतिमधिशयीत।।19।।

अर्थ- बड़ी बहू की अनुमति लेकर पति के पास जाए।

श्लोक-20. न वा तस्या वचनमन्यस्याः कथयेत्।।20।।

अर्थ- उसकी बातों को और किसी से न कहें।

श्लोक-21.तदपत्यानि स्वेभ्योऽधिकानि पश्येत्।।21।।

अर्थ- अपने बच्चों से अधिक छोटी बहू के बच्चों को प्यार करें।

श्लोक-22. रहसि पतिमधिमुपचरेत्।।22।।

अर्थ- किन्तु एकांत में पति की सेवा उससे भी अधिक करें।

श्लोक-23. आत्मनश्च सपत्नीविकारजं दुःखं नाचक्षीत्।।23।।

अर्थ- सौत से जो दुःख होता हो, वह पति से नहीं कहना चाहिए।

श्लोक-24. पत्युश्च सविशेषकं गूढ़ मानं लिप्सेत्।।24।।

अर्थ- दूसरी सौतनों के न रहने पर पति से अधिक सम्मान तथा प्रेम प्राप्त करने की चेष्टा करें।

श्लोक-25. अनेन खलु पथ्यदानेन जीवामीति ब्रूयात्।।25।।

अर्थ- अपने पति से कहें कि आपका सम्मान ही मेरा जीवन है।

श्लोक-26. तत्तु श्लाघया रागेण वा बहिर्नाचक्षीत्।।26।।

अर्थ- लेकिन पति से प्राप्त सम्मान के गर्व से लड़ाई हो जाने पर कभी भी प्रकट न करें।

श्लोक-27. भिन्नरहस्या हि भर्तुरवज्ञां लभते।।27।।

अर्थ- पति का राज (गुप्त बातें) प्रकट कर देने वाली औरतें पति के द्वारा अपमानित होती हैं।

श्लोक-28. ज्येष्ठाभयाच्च निगूढसंमानर्थिनी स्यादिति गोनर्दीयः।।28।।

अर्थ- बड़ी सौतन के डर से अकेले में ही पति के सम्मान का आनंद लेना चाहिए। यह गोनर्दीय आचार्य का कहना है।

श्लोक-29. दुर्भगामनपत्यां च ज्येष्ठामनुकम्पेत नायकेन चानुकम्पयेत्।।29।।

अर्थ- अभागिन, संतानरहित (जिसके कोई संतान न हो) जैठी सौत पर दया करें तथा पति को भी उस पर दया रखने को प्रेरित करें।

श्लोक-30. प्रसह्य त्वेमेकाचारिणीवृत्तमनुतिष्ठेदिति कनिष्ठावृत्तम्।।30।।

अर्थ- यह जो बड़ी तथा छोटी सौतन का व्यवहार बताया गया है। इसी के अनुसार इनके बाद बीच की छोटी-बड़ी सौतने हों तो उनका भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। छोटी बहू का बर्ताव समाप्त हुआ।

श्लोक-31. वृत्तमाह- विधवा तिवन्द्रियदौर्बल्यतादातुरा भोगिनं गुणसंपन्नं च या पुनर्विन्देत्सा पुनर्भूः।।31।।

अर्थ- जो विधवा कामवासना के वशीभूत होकर किसी गुण संपन्न व्यक्ति को अपना पति चुन लेती है। तब उस विधवा को पुनर्भू कहा जा सकता है।

श्लोक-32. यतेस्तु स्वेच्छया पुनरपि निष्क्रमणं निर्गुणोऽयमिति तदान्यं काडक्षेदिति बाभ्रवीयाः।।32।।

अर्थ- बाभ्रवीयों के मतानुसार- कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पति से असंतुष्ट होने पर दूसरा पति चुन लेती हैं।

श्लोक-33. सौख्यार्थिनी सा किलान्यं पुनर्विन्देत।।33।।

अर्थ- बहुत-सी स्त्रियां सेक्स की इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरी पुरुषों को प्राप्त करती हैं।

श्लोक-34. गुणेषु सोपभोगेषु सुखसाकल्यं तस्मात्ततो विशेष इति गोनर्दीयः।।34।।

अर्थ- आचार्य गोर्दनीय का मानना है कि यदि स्त्री द्वारा छोड़े गये दूसरे, तीसरे पुरूष से अधिक सेक्स कला में कुशल चौथा युवक हो तो वह पुनर्भू स्त्री वर्तमान पति को छोड़कर चौथे युवक के पास जा सकती है। यदि चौथे युवक से भी कोई दूसरा पुरूष अधिक गुणी हो तो उसके पास जाकर रह सकती है। इस प्रकार एक के बाद एक निर्गुणी युवकों को छोड़ती हुई तथा गुणी युवकों के पास जाने वाली पुनर्भू स्त्री की गणना वेश्याओं में होने लगती है।

श्लोक-35. आत्मनश्चित्तानुकुल्यादिति वात्स्यायनः ।।35।।

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि पुनर्भू स्त्रियों को जो उचित लगे, उसे वही करना चाहिए।

श्लोक-36. सा बान्धवैर्नायकादापानकोद्यानश्रद्धादानमित्रपूजनादि व्ययसहिष्णु कर्म लिप्सेत।।36।

अर्थ- उत्तम कोटि की पुनर्भू स्त्री अपने परिवार वालों से, जिससे बनती हो, उससे उतना ही ले जिससे उसके शराब, मनोरंजन, दान-दक्षिणा तथा दोस्तों के आदर-सत्कार आदि का खर्च पूरा हो जाए।

श्लोक-37. आत्मनः सारेण बालंकारं तदीयमात्मीयं वा बिभृयात्।।37।।

अर्थ- निम्नकोटि तथा मध्यम वर्ग की पुनर्भू स्त्री उपर्युक्त खर्च अपने स्वयं के धन से करे और अपने ही आभूषणों को धारण करे। यदि स्वयं के गहने न हो तो पुरूष के दिये हुए गहनों

को पहने।

श्लोक-38. प्रीतिदायेष्वलनियमः।।38।।

अर्थ- नायक द्वारा प्रेम से दी गयी वस्तु के उपयोग का कोई विशेष नियम नहीं होता है।

श्लोक-39. स्वेच्छया च गृहान्निगच्छन्ती प्रीतिदायादन्यन्नायकदत्तं जीयते। निष्कास्यमाना तु न किंचिद्दद्यात्।।39।।

अर्थ- यदि पुनर्भू स्त्री अपनी मर्जी से एक नायक को छोड़कर दूसरे के पास चली जाए तो पहले नायक के दिये हुए उपहारों के अलावा शेष सभी चीजें उसे वापस कर दें।

श्लोक-40. सा प्रभविष्णु तस्य भवनामप्नुयात्।।40।।

अर्थ- स्त्री जिस पुरूष के घर जाए वहां उसके घर की मालकिन बनकर रहे।

श्लोक-41. कुलजासु तु प्रीत्या वर्तेत।।41।।

अर्थ- उसकी अन्य पत्नियों से प्रेम का व्यवहार करें।

श्लोक-42. दहिण्येन परिजने सर्वत्र सपरिहासा मित्रेषु प्रतिपत्तिः। कलासु कलासु कौशलमधिकस्य च ज्ञानम्।।42।।

अर्थ- पुरूष के घरवालों के साथ अनुकूलता का व्यवहार करें। उसके दोस्तों से हंसी मजाक के साथ बात करें। कलाओं में कुशलता तथा अभिज्ञान का परिचय दें।

श्लोक-43. कलहस्थानेषु च नायकं स्वयमुपालभेत।।43।।

अर्थ- कुलटा स्त्रियों के साथ में रहने, कई रात बाहर रहने, उपाचित की हानि करने पर नायक को उलाहना दें।

श्लोक-44. रहसि च कलया चतुःषष्टयानवर्तेत। सपत्नीनां च स्वयमुपकुर्यात्। तासामपत्येष्वाभरणदानम्। तेषु स्वामीवदुपचारः। मण्डनकानि वेपानादरेण कुर्वीतः परिजने मित्रवर्गे चाधिकं विश्राणनम्। सामाजापानको-द्यानयात्राविहारशीलता चेति पुनर्भूवृत्तम् ।।44।।

अर्थ- पुरूष की इच्छा के अनुसार एकांत में सेक्स की 64 कलाओं का प्रदर्शन करें।

अपनी सौतनों को शुभचिंतन बिना किसी प्रेरणा से करें। उनके बच्चों को कपड़े और खिलौने आदि प्रदान करें। आवश्यकता के समय उन बच्चों के साथ अभिभाविका के समान व्यवहार करें। बड़े सम्मान के साथ सौतन के बच्चों को वस्त्र आभूषण आदि से सजाएं। पति के परिवार तथा दोस्तों के प्रति ज्यादा उदारता दिखाएं। शराब का सेवन तथा सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक रुचि दिखाएं। पुनर्भू स्त्री के ये चरित्र समाप्त होते हैं।

श्लोक-45. दुर्भगा तु सापत्कपीड़िता या तासामधिकमिव पत्यावुपचरेत्तामाश्रायेत्। प्रकाम्यानि च कलाविज्ञानानि दर्शयेत्। दौर्भाग्यद्रहस्यानामभावः।।45।।

अर्थ- ऐसी पुनर्भू स्त्रियों में अभागिन पुनर्भू वे होती हैं जोकि अपने सौतनों द्वारा सताई जाती हैं। ऐसी अभागिनों को चाहिए कि उस सौतन का पक्ष ग्रहण करें। जिसे उनका नायक अधिक मानता हो। प्रदर्शन लायक कलाओं को उसे दिखाएं क्योंकि कुशलता का परिचय करा देने से भी बदनसीबी समाप्त हो जाती है।

श्लोक-46. नायकापत्यानां धात्रेयिकानि कुर्यात।।46।।

अर्थ- पति की संतानों का पालन-पोषण धाय के समान करें।

श्लोक-47. तन्मित्राणि चोपगृह्य तैर्भक्तिमात्मनः प्रकाशयेत्।।47।।

अर्थ- पति के दोस्तों को अनुकूल बनाकर उनके द्वारा पति पर अपनी निष्ठा करें।

श्लोक-48. धर्मकृत्येषु च पुकश्चारिणी स्याद्धतोपवासयोश्च।।48।।

अर्थ- पति के घर धर्म-कार्य, व्रत तथा उपवास संबंधी जो त्यौहार पड़े उनमें वह आगे रहे।

श्लोक-49. परिजने दाक्षिण्यम्। न चाधिकमात्मानं पश्येत्।।49।।

अर्थ- पति के परिवार वालों के प्रति अनुकूलता जाहिर करती हुई वह अपना बड़प्पन न देखें।

श्लोक-50. शयने तत्सात्म्येनात्मनोऽनुरागप्रत्यानयनम्।।50।।

अर्थ- पति के साथ सोने के समय उसकी प्रकृति के अनुकूल अनुराग को पुनः उत्पन्न करें।

श्लोक-51. न चोपालभेत वामतां च न दर्शयेत्।।51।।

अर्थ- न तो पति को उलाहना दे और न ही अपनी चतुराई दिखाएं।

श्लोक-52. यया त कलहितः स्यात्कामं तामावर्तयेत्।।52।

अर्थ- यदि पति किसी पत्नी से लड़ाई-झगड़ा करके गया हो तो उसे अपनी तरफ से उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्लोक-53. यां च प्रच्छन्नां कामयेत्तामनेन सह संगमयेद्रोपयेश्च।।53।।

अर्थ- यदि पति किसी स्त्री से छिपकर प्रेम करता हो, तो उस स्त्री को अपने पति से मिलाने और फिर छिपा देने की कोशिश पुनर्भू स्त्री करे।

श्लोक-54. यथा च परिव्रतात्वमशाठयं नायको मन्येत तथा प्रतिविदध्यादिति दुर्भगावृत्तम्।।54।।

अर्थ- पुनर्भू स्त्री को ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे नायक उसे पतिव्रता समझे। दुर्भगा का अध्याय यही समाप्त होता है।

श्लोक-55. अन्तःपुराणां च वृत्तमेतेष्वेव प्रकरणेषु लक्ष्येत्।।55।।

अर्थ- उपरोक्त श्लोकों में बड़ी और छोटी सौतनों के जो आचरण बताये गये हैं। उसी के अनुसार रनिवास की रानियों के आचरण की भी जानकारी रखनी चाहिए।

श्लोक-56. माल्यानुलेपनवासांसि चासां कञ्जुकीया महत्तरिका वा राज्ञो निवेदयेयुर्देवीभिः प्रहितमिति।।56।।

अर्थ- रनिवास की दासियों तथा नौकरानियों को चाहिए कि वे रानियों की माला, लेप करने का सामान तथा कपड़े लेकर राजा को यह कहकर दें कि इन्हें इस रानी ने भेजा है।

श्लोक-57. तदादाय राजा निर्माल्यमासां प्रतिप्राभृतकं दद्यात्।।57।।

अर्थ- रनिवास की दासियों तथा नौकरानियों के द्वारा लायी हुई वस्तुओं को उन रानियों के पास भेजे, जिन्होंने माला और लेप आदि भेजी थी।

श्लोक-58. अलंकृत स्वलंकृतानि चापराह्वे सर्वाण्यन्तःपुराण्यैकध्येन पश्येत्।।58।।

अर्थ- राजा को चाहिए कि वह तीसरे पहर अंतःपुर (रनिवास) जाने की पोशाक पहनकर श्रृंगार की हुई रानियों के पास अचानक से पहुंचे।

श्लोक-59. तासां यथाकालं यथार्ह च स्थानमानानुवृत्तिः सपरिहासाश्च कथाःकुर्यात्।।59।।

अर्थ- रानियों की शारीरिक क्षमता तथा उचित समय देखकर सेक्स करें। सेक्स के दौरान एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें तथा हंस-हंसकर एक-दूसरे से बातें करें।

श्लोक-60. तदनन्तर पुनर्भ्रवस्तथैव पश्येत्।।60।।

अर्थ- इसके बाद रखैल स्त्रियों से भी इसी प्रकार का व्यवहार करें।

श्लोक-61. ततो वेश्या आभ्यन्तरिका नाटकीयाश्च।।61।।

अर्थ- इसके बाद रनिवास में रहने वाली वेश्याओं तथा रंगमंच की अभिनेत्रियों से भी ऐसी ही मुलाकात करें।

श्लोक-62. तासां यथोक्तकक्षाणि स्थानानि।।62।।

अर्थ- रानियों का निवास स्थान रनिवास के बीच में हो, इसके बाद बाहरी कमरों में रखैल स्त्रियों का, उसके बाहर वेश्याओं का तथा उसके बाद के कमरे में अभिनेत्रियों और नाचने वाली नर्तकियों का निवास स्थान होना चाहिए।

श्लोक-63. वासकपाल्यवस्तु तस्या वासको यस्याश्चीतो यश्याश्च ऋतुस्तत्परिचारिकानुगता दिवा शय्योत्थितस्य राश्रम्ताभ्या प्रहितमंगुलीयकांकमनुलेपनमृतुं वासकं च निवेदयेत्।।63।।

अर्थ- रनिवास में राजा के भोग-विलास की व्यवस्था करने वाली दासियों को चाहिए कि जिस रानी की सेक्स करने की बारी हो, किसी कारण से जिसकी बारी समाप्त हो गयी हो तथा जिस रानी को मासिक-धर्म आ रहा हो, उन सभी की परिचारिकाओं को साथ लेकर भोजन समाप्ति के बाद उठे राजा को उन रानियों के द्वारा भेजी गयी अपने नाम की अंगूठी, कुंकुम आदि का लेप तथा वासक प्रदान करें।

श्लोक-64. तत्र राजा यद् गृह्वीयात्तस्या वासकमाज्ञापयेत्।।64।।

अर्थ- उपहार में मिली वस्तुओं में से जिसकी अंगूठी राजा स्वीकार कर ले। उस रानी की सेविका रानी को सूचित करे कि आज राजा रात में यहीं सोने आएंगे।

श्लोक-65. उत्सवेपु च सर्वासामनुरूपेण पूजापानकं च। संगीत-दर्शनेपु च।।65।।

अर्थ- रनिवास में होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं जश्नों में सभी रानियों का सम्मान राजा शराब आदि के द्वारा करे। नृत्य एवं संगीत में भी स्त्री को बराबर सम्मान देना चाहिए।

श्लोक-66. अन्तःपुरचारिणीनां बहिरनिष्क्रमो बाह्यानां चाप्रवेश। अन्यत्र विदितशौचाभ्यः अपरिक्लिष्टश्च कर्मयोग इत्यान्तः पुरिकम्।।66।।

अर्थ- रनिवास में रहने वाली नारियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसके अलावा संदिग्ध चरित्र वाली स्त्रियों को रनिवास में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जिन स्त्रियों का आचरण पवित्र हो केवल उन्हें ही रनिवास में प्रवेश करने देना चाहिए। राजा को विभिन्न उच्चकोटि के आसनों के द्वारा रानियों के साथ संभोग करना चाहिए। इस सूत्र के बाद रनिवास के आचरण समाप्त होते हैं।

श्लोक-67. भवन्ति चात्र श्लोकाः- पुरूषस्तु बहून् दारान् समाहृत्य समो भवेत्। न चावज्ञां चरेदासु व्यलीकान्न सहेत च।।67।।

अर्थ- इस विषय से संबंधित प्राचीन श्लोक हैं।

इस सूत्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कई पत्नियां हो, उस व्यक्ति को सभी पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति न तो किसी पत्नी का अनादर करे और न ही किसी के गलत कार्यों को बर्दाश्त करे।

श्लोक-68. एकस्यां या रतिकीडा वैकृतं वा शरीरजम्। विस्त्रम्भाद्वाप्यु-पालम्भस्तमन्यासु न कीर्तयेत्।।68।।

अर्थ- यदि किसी रानी को सेक्स करने अथवा शरीर में उत्पन्न रोग अथवा कारणों से कोई शारीरिक विकार हो तो ऐसी रानी को अपनी समस्याएं अन्य रानियों अथवा रखैल स्त्री से न बताएं।

श्लोक-69. न तो दद्यात्प्रसरं स्त्रीणां सपत्नीनां कारणे क्वचित्। तथोपालभमानां च दोषैस्तामेव योजयेत्।

अर्थ- राजा को चाहिए कि वह अपनी पत्नियों के बीच आपस में लड़ाई करने का मौका ही न दे, और जो पत्नी आकर दूसरी पत्नी की शिकायत करे, राजा को उसकी सुनकर उसी को समझाना चाहिए।

श्लोक-70. अन्यां रहसि विस्त्रम्भैरन्यां प्रत्यक्षपूजनैः। बहुमानैस्तथा चान्यामित्येवं रञ्जयेत् स्त्रियः।।70।।

अर्थ- राजा को किसी पत्नी को अकेले में यकीन दिलाकर, किसी पत्नी का प्रकट रूप में सम्मान करके और किसी पत्नी को अधिक आदर करके अपने ऊपर सभी नारियों को अनुरक्त रखने की कोशिश करते रहना चाहिए।

श्लोक-71. उद्यानगमनैर्भोर्दानैस्तज्ज्ञातिपूजनैः रहस्यैः प्रीतियोगैश्चेत्येकामनुरञ्जुयेत्।।

अर्थ- राजा को चाहिए कि सभी पत्नी को वह अलग-अलग घुमाये, भोग-विलास करे। उपहार प्रदान करें। उसके भाई-भतीजों का आदर सत्कार करे।

श्लोक-72. युवतिश्च जितक्रोधा यथाशास्त्रप्रवर्तिनी। करोति वश्यं भर्तारं सपत्नीश्चाधितिष्ठति।।72।।

अर्थ- जो स्त्री अपने गुस्से को नियंत्रित करके कामशास्त्र के मुताबिक पति के साथ आचरण करती है। वह स्त्री पति को अपने वश में करके, सभी सौतनों की तुलना में पति की अधिक प्रिय बन जाती है।

पिछले अध्याय में एकचारिणी पत्नी के आचार और व्यवहार के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि यदि वही एकचारिणी स्त्री यदि सौतनों के बीच में पड़ जाती है तो तब उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उसे अपने सौतनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्री के दुष्चरित्र होने से, स्त्री के बांझ होने से, पति की बेवकूफी से तथा हर बार लड़की होने से एकचारिणी पत्नी को सौतनों के ताने सहन करने पड़ते हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने सौतनों का वर्णन करते हुए बताया है कि मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उपरोक्त कारणों से दुबारा शादी करता है, लेकिन उच्च श्रेणी के लोग शौकिया तौर पर कई विवाह करते हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने दो पत्नियों के रहते हुए बड़ी बहू के कर्तव्य का निर्देश करते हुए बताया गया है। उसका सारांश यही है कि बड़ी बहू को छोटी बहू के साथ बहन के समान बर्ताव करना चाहिए। उसकी गलतियों और उसके गुस्सा करने पर उसे प्यार से समझाएं। उसकी सभी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें। यहां तक कि उसे सेक्स संबंधी उचित सलाह दें। उसके बच्चों को अपने बच्चों से अधिक प्रेम करें। उसके मायके के लोगों को अधिक सम्मान दें।

यदि कई सौतने होती हैं तो उनमें परस्पर ईर्ष्या-द्वेष और षड़यंत्र होते रहते हैं। यदि पति किसी को अधिक प्रेम करता है तो दूसरी सौतन पत्नी उस पत्नी को हर प्रकार से पति के नजरों में गिराने की कोशिश करती है।

आचार्य वात्स्यायन के अनुसार यदि किसी कारणवश बड़ी सौतन बांझ हो तो छोटी सौतन को उस पर किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहिए तथा पति को भी उससे विशेष रूप से प्यार करने की सलाह देनी चाहिए। वात्स्यायन ने इस अध्याय के अंतर्गत एक पुनर्भू प्रकरण भी रखा है। इसके अनुसार जिस स्त्री का पति मर जाता है। यदि वह अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए किसी और को पति बना लेती है तथा फिर उसे भी छोड़ना चाहती

हो तो अपनी मर्जी से छोड़ सकती हैं। वात्स्यायन के मतानुसार जिसने वासनाओं की पूर्ति के लिए पति का घर छोड़ दिया हो। वह एक नहीं हजारों पतियों को छोड़ सकती है। लेकिन यदि वह लगातार इसी प्रकार पति को छोड़ती जाएगी तो उसकी गणना वेश्याओं में होगी।

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे चतुर्थेऽधिकरणे सपत्नीषु ज्येष्ठवृत्तं कनिष्ठावृत्तं पुनर्भूवृत्तं दुर्भगावृत्तमान्तःपुरिकं पुरूषस्य बह्वीषु प्रतिपत्ति- र्द्वितीयोऽध्यायः।।